न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	दर्ज प्रकरण संख्या	निगरानीकार	उनवान	विपक्षीगण
03/2019	RCMS NO 2019/00124	श्री मांगीलाल पुत्र श्री केशुराम सुथार निवासी रठाजंना		श्रीमती रेखाबाई पत्नि श्री सुरेश कुमार सुथार निवासी रठरजंना
04/2019	RCMS NO 2019/00125	श्री मांगीलाल पुत्र श्री केशुराम सुथार निवासी रठाजंना	बनाम	श्रीमती रेखाबाई पत्नि श्री राजमल सुथार निवासी रठरजंना
05/2019	RCMS NO 2019/00126	श्री मांगीलाल पुत्र श्री केशुराम सुथार निवासी रठाजंना		श्रीमती तुलसीबाई पत्नि श्री रामनारायण सुथार निवासी रठरजंना

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत</u>

उपस्थिति :–
1. श्री अशोक कुमार राठौर अधिवक्ता
2. श्री अशोक कुमार दख अधिवक्ता

<u>–: आदेश :–</u> दिनांक 24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र निगरानीया अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध विवादित पट्टा विलेख कमांक 01/2012 दिनांक 06.02.2012 क्षैत्रफल 18 x 74 = 1332 वर्गफीट विपक्षी/आवंटी (श्रीमती रेखा बाई पत्नी सुरेश कुमार सुथार उम्र 28 वर्ष पुत्र वधु श्री रामनारायण पुत्र केशुराम सुथार निवासी रठांजना) के नाम एवं पट्टा विलेख कमांक 02/2012 दिनांक 06.02.2012 क्षैत्रफल 19 X 74 = 1406 वर्गफीट विपक्षीया/आवंटी (श्रीमती रेखा बाई पत्नी श्री राजमल सुथार उम्र 43 वर्ष पुत्र वधु श्री रामनारायण पुत्र केशुराम सुथार निवासी रठांजना तथा पट्टा विलेख कमांक 03 दिनांक 06.02.2012 क्षैत्रफल 50 x 25 = 1250 वर्गफीट विपक्षिया/आवंटी श्रीमती तुलसी बाई पत्नि रामनारायण पुत्रवधु श्री केशुराम सुथार निवासी रठांजना के नाम राजस्व ग्राम रठांजना की आबादी भूमि 621 रकबा 4.60 है. किस्म आबादी में जारी किया गया है।

निगरानीकार द्वारा उक्त पट्टों को आक्षेपित करते हुए प्रस्तुत निगरानी से अवगत कराते हुए कि राजस्व ग्राम रठांजना की आबादी भूमि आराजी संख्या 621 रकबा 4.60 है. किस्म आबादी भूमि में निगरानीकार एवं रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण पट्टा धारकों के मौरूसी पिता दिगर मालिक श्री केशुराम पुत्र वरदा जी सुथार रठांजना के स्थाई पीढी दर पीढी निवासी रहे है जिससे उक्त ग्राम की आबादी भूमि

जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner

में उनका पैतृक मकान एवं आवासीय भूखण्ड होने से वर्ष 1981 के दौरान उनके द्वारा ग्राम पंचायत रठांजना के संकल्प संख्या 06 दिनांक 06.11.1981 को अपने स्थाई मकान–आवास भूमि का 30 x 45 = 1350 वर्गफीट भूमि का पट्टा कमांक 3333 दिनांक 07.11.1981 को प्राप्त किया था जो आदिनांक तक अस्तित्व में है।

इस प्रकार निगरानीकार एवं रेस्पोडन्ट/विपक्षीगण के मौरूसी पुरूष श्री केशुराम पिता वरदा जी सुथार का सजरा खानदान निम्न प्रकार निरूपित होता है

केशुराम /वरदा जी सुथार (फौत) 1350 Sqft

1/3 मांगीलाल

1/3 रामनारायण (फौत)

1/3 जगदीश

सुरेश — (रेखा बाई) पट्टाधारक पट्टा कमांक –01

राजमल — (रेखा बाई) पट्टाधारक पट्टा कमांक –02

तुलसा बाई बेवा पट्टाधारक कमांक –0 3

यह कि उपरोक्त सजरा खानदान अनुसार मौरूसी पुरूष श्री केशुराम पुत्र वरदा जी सुथार की आवासीय भूमि भवनों में निगरानीकार (मांगीलाल पुत्र केशुराम) का 1/3 हक हिस्सा तथा प्रकरण के विपक्षीगण पट्टा धारकों ससुर एवं पति श्री रामनारायण पुत्र केशुराम का 1/3 हक हिस्सा निरूपित होता है तथा 1/3 हक हिस्सा अन्य वारीस श्री जगदीश पिता केशुराम की 1/3 हिस्सा बनता है, किन्तु विपक्षीगण/पट्टाधारकों पट्टा कमांक 01 व 02 के ससुर तथा पट्टा कमांक 03 के प्रति श्री रामनायण के उत्तराधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत रठांजना के समक्ष दिनांक 05.11.2012 को पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर उक्त आबादी भूमि एवं भवनों के बापी पट्टे की मांग की गई। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आगामी कोरम दिनांक 20.12.2011 को मौका निरीक्षण टीम गठन कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट आगामी कोरम बैठक दिनांक 05.01.2012 में प्रस्तुत करते के निर्देश दिए जिस पर दिनांक 05.01.2012 को मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत आवेदनों अनुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रारूप में जांच प्रतिवेदन एवं मौका पर्चा भूमि विवरण चतुर्थ सीमा उल्लेखन सहित नक्शा पृथक–पृथक पत्रावली आवेदन अनुसार प्रस्तुत किया गया जिस पर आवंटी संस्था ने यह विवादित पट्टे कमांक 01, 02 एवं 03 विपक्षी/आवंटीगण के पक्ष में जारी किये गये।

यह कि आवेदक/विपक्षीगण पट्टाधारकों के मिथ्या एवं भ्रामक आवेदन आधार पर ग्राम पंचायत संस्था एवं गठित मौका निरीक्षण–दल द्वारा बिना किसी युक्ति–युक्त जांच एवं उक्त भूमि पर मौरूसी पुरूष के पक्ष में जारी पट्टा विलेख कमांक 3333 दिनांक 07.11.1981 क्षैत्रफल 1350 व अन्य आवासीय भूमियों की वास्तविक कब्जे उपयोग का जायजा लिए बिना तथा मौके पर निर्मित आवास गृहों एवं अन्य भूमि भूखण्ड की रिक्त भूमियों की समग्र जांच किए बिना ही अवैधानिक तरीके से यह विवादित पट्टे जारी किए गए है जो निगरानीकार एवं विपक्षीगण पट्टा धारकों के मौरूसी अधिकार

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

1/3 के विपरीत होने से स्वतः निरस्त योग्य होने के आधार पर यह निगरानीयां प्रस्तुत की गई है। जिसे स्वीकार फरमाई जाकर संयुक्त उत्तराधिकार में उपयोगरत आवासीय भवनों, भूखण्डों के संबंध में जारी पट्‌टा विलेखों को खारीज फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानीयां दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थी/विपक्षीगण विवादित पट्‌टाधारकों की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार दक उपस्थित हुए तथा प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 दीवानी प्रकिया संहिता 1908 मय नकल छायाप्रतियां सिविल प्रकरण संख्या 33/2018 बाबत् विभाजन भूखण्ड एवं मकान घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन सिविल न्यायालय, प्रतापगढ़ के साथ प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित भूमि (भू-खण्डों) एवं आवासगृहों के संबंध में एक नियमित वाद माननीय विचारण सिविल न्यायालय (क.ख.) प्रतापगढ़ के समक्ष वर्ष 2018 से विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण समेकित रूप से सुनवाई एवं वकुलाय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत निगरानीयां समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु के निराकरण से संबंधित होने के कारण समेकित निर्णय का निवेदन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानीयां स्वतः चलने योग्य नहीं होने से निरस्त फरमाई जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC पर बहस उभय पक्ष अन्तिम सुनी गई जिसके दौराने बहस विपक्षी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 10 CPC में विहित प्रावधानों अनुसार अवगत कराया कि प्रश्नगत प्रकरण निगरानीयों में वर्णित भूखण्ड एवं आवासगृहों के संबंध में समान पक्षकारों के मध्य एक नियमित वाद पूर्व से सिविल न्यायालय के समक्ष निगरानीकार/अप्रार्थी द्वारा वर्ष 2018 से प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान तक जैरे कार्यवाही है। अतः निगरानीयां निगरानीकार इसी स्तर पर मेन्टेबल नहीं मानते हुए अस्वीकार खारीज फरमाई जावे।

इसी प्रकम में दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 CPC का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत निगरानीया अविभाजित पैतृक सम्पत्तियों पर एकाधिकार जताने की नियत से मिथ्या एवं भ्रामक आधारों पर पंचायतीराज नियमों के विपरीत बनाए गए विवादित पट्‌टा विलेखों के संबंध में माननीय न्यायालय कार्यालय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत प्रिलिटिगेशन प्रार्थना पत्रों विवादित पट्‌टा विलेखों के निराकरण हेतु प्रस्तुत शिकायतों एवं प्राप्त विधिवत् जांच रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान के श्रृवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार की धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत की गई है जिनमें पक्षकार एवं विवादित विषय वस्तुत समान है किन्तु विवाद्यकों की स्थिति भावना दादरसी असमान है अर्थात् न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में विचारणीय पट्‌टा विलेख युक्ति-युक्त होने के आधार पर उक्त पट्‌टा विलेखों को शुन्य करार खारीज कराने की नियम सत प्रस्तुत की गई है जिससे प्रकरण के किसी भी पक्षकार की हिस्सेदारी अथवा अन्य अधिकार प्रभावित नहीं होगें जबकि सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण आबादी क्षैत्र के आवासीय भूखण्ड आवासगृहों के विभाजन एवं घोषणात्मक डिकी एवं स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित विवाद है जिसका श्रृवणाधिकार इस न्यायालय को अभिप्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में धारा 10 CPC के प्रभाव प्रकरण पर लागु नहीं होने से विपक्षी/प्रार्थी का आक्षेप प्रार्थना पत्र धारा 10 CPC 1908 निराधार होने से खारीज फरमाया जावे तथा निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानीया न्यायहित में अविलम्ब स्वीकार फरमाई जावे जिससे सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद बटवाड़ा एवं घोषणा का भी युक्ति-युक्त निर्धारण त्वरित न्याय भावना से हो सके।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

बहस उभय पक्ष धारा 10 CPC पर मनन किया गया तथा धारा 10 में विहित प्रावधानों के साथ प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज एवं समस्त विवाद्यकों के संबंध में विचारण किया गया जिससे विपक्षी/प्रार्थी का आवेदन धारा 10 CPC प्रकरण पर प्रभावहीन होने से खारीज किया गया तथा प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों तथा प्रचलित प्रावधानों के तहत सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में वर्णित कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों जांच रिपोर्टस के हवाले से अवगत कराया कि विपक्षीगण/पट्टाधारकों के पक्ष में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत प्रारूप 21(क) में जारी विवादित पट्टा कमांक 01,02 एवं 03 बापी पट्टा आधार पर जारी किया जाना अनुचित रहा है क्योंकि उक्त पट्टों में वर्णित भूखण्ड एवं आवासगृहों के क्षैत्रफल का मूल पट्टा मारूसी पट्टाधारक श्री केशुराम पुत्र श्री वरदा जी सुथार का पट्टा संख्या 3333 दिनांक 04.11.1981 क्षैत्रफल 45 x 30 = 1350 वर्गफीट के भाग में निहित है जिस पर निगरानीकार का भी 1/3 हक अधिकार बनता है इसके विपरीत विपक्षीगण द्वारा उक्त भूखण्ड आवासगृहों को अपने बापदादा के समय से लगभग 50 वर्षों का पुराना कब्जा बताकर प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2011 के कम में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.11.2012 के अनुसार प्राप्त करने की चेष्टा की गई थी किन्तु पट्टा धारक मौरूसी पुर्वज श्री केशुराम पुत्र वरदा की जायन्ता सन्तानें नहीं होकर उक्त परिवार की पुत्र वधुऐं है जिन्हें केशुराम पुत्र वरदा की सम्पत्ति में निगरानीकार के समान 1/3 हक हिस्से का अधिकार स्वतत्व प्राप्त नहीं होता है यह कि विपक्षियागण द्वारा उक्त भूखण्ड–आवास गृहों पर 50 वर्षों से अपना बाप दादाओ का कब्जा होना बताया जाना भी अनुचित है क्योंकि विपक्षीगण/पट्टाधारकों में श्रीमती रेखा पत्नि सुरेश की आयु वक्त आवेदन 28 वर्ष एवं श्रीमती रेखा पत्नि राजमल की आयु 43 वर्ष होना बताया है। ऐसी स्थिति में नियम 157 (1) 23 (क) के तहत जारी पट्टे स्वतः निरस्त योग्य है। जहां तक विपक्षीगण का आक्षेप की उक्त भूखण्ड आवासगृहों के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन होने के संबंध में निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 47/2018 अन्तर्गत जो भी निर्णय विभाजन डिकी निगरानीकार में जारी की जाएगी उसकी वह युक्ति–युक्त पालना हेतु प्रतिबद्ध रहेगा।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़

अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार फरमाई जाकर विवादित पट्टा कमांक 01, 02 एवं 03 दिनांक 06.02.2012 खारीज फरमावें। इसी प्रकम में दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता विपक्षी/पट्टाधारक की ओर से निगरानी मे वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि विपक्षीगण के पक्ष में जारी पट्टाकृत भूखण्ड आवास गृह उनके मौरूसी पुरूष रामनारायण पुत्र केशुराम की स्व–अर्जित भूखण्ड आवासगृहों का भूमि रकबा है। क्योंकि मौरूसी पुरूष केशुराम पुत्र वरदा जी मीणा के भूखण्ड एवं आवासगृहों के भूखण्ड पट्टा विलेख 3333 दिनांक 07.11.1981 में 1/3 हक अधिकार उपरान्त केशुराम के पुत्र जगदीश पुत्र केशुराम के हक हिस्से का 1/3 भाग का रकबा भी रामनारायण पुत्र केशुराम को 2100 रूपये कम मूल्य पर अन्तरित हो जाने से विपक्षीगण के पैतृक रामनारायण द्वारा उक्त 1/3 एवं 1/3 हक हिस्से में उपलब्ध भूखण्ड आवास रकबों तथा मौके पर पड़ी शेष आवासीय भूमि पर निर्वादित कब्जे के आधार पर वर्ष 1982 के दौरान अपना एक पृथक आवासीय भूखण्ड पट्टा विलेख संख्या 001195 दिनांक 12.10.1982 में 30 x 45 = 1350 वर्गफीट का पट्टा प्राप्त किया था जिसके आधार पर विपक्षीगण द्वारा अपने पूर्वज रामनारायण पुत्र केशुराम सुथार

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

के हक हिस्से आधार पर नवीनीकृत पट्टा विलेख कमांक 01, 02 एवं 03 दिनांक 06.02.2012 को प्राप्त किए है जो विधि संगत है। अतः प्रस्तुत निगरानीयां खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तुत निगरानी मेमों दिनांक 02.12.2020, संलग्न पट्टा विलेख 3333 दिनांक 07.11.1981, पट्टा विलेख कमांक 001195 दिनांक 12.10.1982 पट्टा कमांक 01 व 02 तथा 03 दिनांक 06.02.2012 तथा पत्रावली में प्ररतुत नकल शिकायत पर कार्यालय जिला कलक्टर से प्रेषित जांच कार्यवाही हेतु प्रेषण पत्र कमांक 5321 दिनांक 13.11.2018 एवं प्राप्त प्रतिवेदन पत्र विकास अधिकारी प्रतापगढ़ दिनांक 17.01.2019, विवादित पट्टों से संदर्भित पट्टा विलेख पत्रावलियां पट्टा कमांक 01, 02 एवं 03 दिनांक 06.02.2012 एवं संलग्न नकल आदेशिका, शपथ पत्र दिनांक 26.11.2011 के साथ-साथ विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नकल छायाप्रतियां विचाराधीन सिविल प्रकरण संख्या 47/2018 वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा आवेदन एवं नकल आदेशिकाओं का भी गहन अवलोकन अध्ययन प्रकरण में प्रचलित नियम अधिनियम के तहत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम रठांजना की आबादी भूमि आराजी संख्या 621 रकबा 4.60 है. में से निगरानीकार एवं रेसपोडेन्ट (विपक्षी) पट्टाधारकों के मौरूसी पुरूष श्री केशुराम पुत्र वरदा जी सुथार निवासी के आवासगृह एवं अन्य आवासीय भूखण्ड कब्जे की भूमि रकबा क्षैत्रफल हेतु वर्ष ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1981 के दौरान जारी बापी पट्टा विलेख कमांक 3333 दिनांक 07.11.1981 क्षैत्रफल 30 x 45 = 1350 वर्गफीट के आदिनांक तक अस्तित्व में होने की पुष्टि रिपोर्ट विकास अधिकारी प्रतापगढ़ दिनांक 17.01.2019 एवं संलग्न जांच विस्तृत रिपोर्ट से होती है तथा उभयपक्ष द्वारा भी उक्त पट्टे को अस्तित्व में होना स्वीकार किया गया है। जिसके आधार पर प्रकरण के निगरानीकार एवं विपक्षीगण के मौरूसी उत्तराधिकार अनुसार केशुराम पुत्र वरदा जी सुथार के विधिक विरासत अधिकार 1/3, 1/3 के हक हिस्से की अवधारणा होती है जिसमें निगरानीकार को स्वतंत्र 1/3 हक हिस्सा अनुसार आवासीय भवन एवं भूखण्ड का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके आधार पर विपक्षीगण द्वारा केशुराम के जायन्दा वारीसान कमशः मांगीलाल, रामनारायण एवं जगदीश के 1/3, 1/3 हक हिस्से के भूखण्ड आवास गृहों के अविभाजित रहते रामनारायण द्वारा अपने भाई जगदीश का हक हिस्सा कय शुदा बताते हुए पूर्व में निर्मित विधिक बापी पट्टा कमांक 3333 दिनांक 07.11.1981 के अस्तित्व में होते हुए भी एक नवीन पट्टा कमांक 001195 दिनांक 12.10.1982 (क्षैत्रफल 30 x 45 =1350 वर्गफीट) को प्राप्त किया जाना बताते हुए विवादित पट्टा कमांक 01, 02 एवं 03 दिनांक 06.02.2012 संशयप्रद रहा है क्योंकि रिपोर्ट विकास अधिकारी दिनांक 21.10.2019 के अनुसार वर्ष 1982 में निर्मित पट्टे का रिकार्ड नहीं है।

ऐसी स्थिति में विपक्षीगण पट्टाधारक कमांक 01,02 एवं 03 द्वारा ग्राम पंचायत रठांजना के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.11.2011 एवं समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.11.2011 में वर्णित कथन तथ्य कांट-छांट के साथ उक्त आवेदकों के पट्टा विलेखों में वर्णित भूखण्ड आवासगृहों पर 50 वर्ष से आवेदकगण की स्वतंत्र तन्हां कब्जो होना सामान्य प्रकम में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि समस्त विपक्षी/पट्टाधारक उक्त परिवार की पुत्र वधुऐं है जिन्हें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 एवं अन्य विरासत सजरा खानदान में प्रथम श्रैणी का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

उनकी आयु भी कब्जा प्रमाणित हेतु वांछित शर्त 50 वर्ष के समान नहीं है। साथ ही प्रकरण में दर्शित रिकार्ड अनुसार वर्ष 1981 के दौरान जारी पट्टा विलेख कमांक 3333 क्षैत्रफल 30 x 45= 1350 तथा वर्ष 1982 के पट्टा कमांक 001195 दिनांक 12.10.1982 में अंकित क्षैत्रफल 30 x 45 = 1350 वर्गफीट अर्थात् विपक्षीगण के मौरूसी पुरूष श्री रामनारायण पुत्र केशुराम द्वारा भी समान आकार का पट्टा निष्पादित होना बताया। ऐसी स्थिति में केशुराम की पट्ट कम भूमि क्षैत्रफल 1350 के समान रामनारायण का 1350 वर्गफीट पट्टा प्राप्त होना केशुराम के अन्य वारीसान के 1/3 हक हिस्से का ह्रास करता है। जबकि प्रकरण में विपक्षीगण के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01, 02 व 03 का क्षैत्रफल निम्न प्रकार अवधारित होता है :–

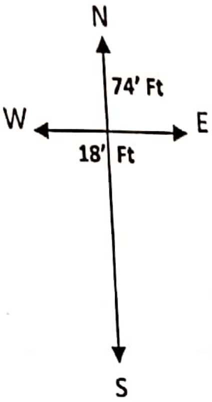

1332 वर्गफीट
(रेखा पत्नी सुरेश)

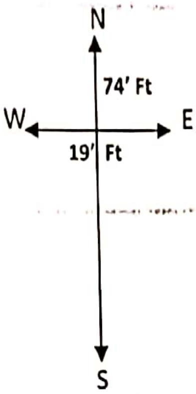

1406 वर्गफीट
(रेखा पत्नी राजमल)

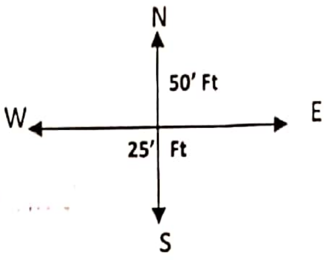

1250 वर्गफीट
(तुलसी पत्नी रामनारायण)

अर्थात् यदि विवादित तीनों पट्टों में वर्णित आवासीय भूमियों के क्षैत्रफल को जोडा जाए तो 1332+ 1406+ 1250 = 3988 वर्गफीट बनता है। इसी प्रकार पट्टा संख्या 3333 दिनांक 07.11.1981 का क्षैत्रफल E.W. 45 x N.S. 30 = 1350 वर्गफीट तथा पट्टा कमांक 001195 दिनांक 12.10.1982 का क्षैत्रफल **E.W. 45 x N.S. 30 = 1350** वर्गफीट बनता है। (**E-East, W-West, N-North, S-South**)

यदि उक्त दोनों पट्टा कमांक 3333 एवं 001195 पट्टाकृत भूमियों के पृथक–पृथक भी माने तब भी 1350 + 1350 = 2700 वर्गफीट ही बनता है जबकि विवादित पट्टा विलेखों कमांक 01, 02 एवं 03 का समेकित माप क्षैत्रफल 3988 मूल पट्टों में वर्णित पृथक–पृथक माप या संयुक्त माप से कई ज्यादा अधिक है और मूल पट्टा विलेखों के मापन ईकाई E.W. 45 x N.W. 30 = 1350 वर्गफीट होने उपरान्त वर्ष 2012 के दौरान जारी बापी पट्टा विलेख अन्तर्गत पट्टा कमांक 01 में E.W. 18 x N.S. 74 = 1332 वर्गफीट एवं पट्टा कमांक 02 में E.W. 19 x N.S. 74 = 1406 तथा पट्टा कमांक 03 में E.W. 50 x **N.S. 25** = 1250 वर्गफीट दर्शाया जाना विवाद्यक बिन्दु है क्योंकि मूल पट्टा विलेखों जिनका निष्पादन वर्ष 1981–82 के दौरान हुआ था अन्तर्गत **NS** लम्बाई 30 Ft से अधिक नहीं थी तथा **E.W.** लम्बाई 45 से अधिक नही थी परन्तु वर्तमान जारी पट्टा विलेखों अन्तर्गत पट्टा कमांक 01 एवं 02 में **N.S.** लम्बाई 74 दर्शाई गई है जो पूर्व पट्टा विलेखों में दर्शित **N.S.** लम्बाई 30 फीट से कई अधिक है तथा पट्टा कमांक 03 में अंकित माप **E.W.** लम्बाई 50 फीट दर्शित है जबकि मूल पट्टा विलेखों अन्तर्गत EW 30 फीट ही दर्शित रिकार्ड है।

उपरोक्तानुसार ग्राम के मूल निवासी मौरूसी पुरूष श्री केशुराम के अधिकार क्षैत्र में उपलब्ध आवासीय भूमि भूखण्ड आवासगृहों के मूल रकबा 1350 वर्गफीट तथा रामनारायण पुत्र केशुराम के पट्टाकृत रकबा 1350 वर्गफीट के मुकाबले विपक्षीगण द्वारा मुल पुरूष के मूल रकबा क्षैत्र 1350 के

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

1/3 हक हिस्सा जो निगरानीकार का बनते हुए मौके पर काबिज होने उपरान्त भी नवीन पट्टा विलेख कमांक 01, 02 एवं 03 का सृजन करा पैतृक भूमि रकबे के साथ–साथ मौके पर उपलब्ध अन्य राजकीय आवासीय रकबे को भी प्राप्त करने तथा उसे विधिक स्वरूप देने का प्रयास किया जाना पंचायतीराज नियम 1996 के विरूद्ध है तथा नियम 148 में विहित प्रावधानों को भी पालना नहीं की गई अन्यथा यह विवाद उत्पन्न नहीं होता ऐसा शत प्रतिशत प्रतीत होता है। जिसके कारण मौका एवं रिकार्ड पर कई विवाद्यक स्थितियां उत्पन्न हो गई है तथा निगरानीकार के 1/3 हक हिस्से का भी ह्रास होना दर्शित होता है जिससे माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के दावे का निस्तारण भी अविधिक पट्टों से बाधित होगा जिससे निगरानी स्वीकार की जाकर विवादित पट्टों को निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत रठांजना से जारी विवादित पट्टा विलेख कमांक 01, 02 एवं 03 दिनांक 06.02.2012 को खारीज किए जात है तथा प्रकरण के वकुलाय पक्षकार एवं ग्राम पंचायत रठांजना को निर्देश दिए जाते है कि माननीय सिविल न्यायालय (क.ख) प्रतापगढ़ से निर्णित प्रकरण संख्या 47/2018 वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की अनुपालना में प्रकरण के पक्षकारान के विभाजन से प्राप्त हक हिस्से अनुसार समुचित कार्यवाही एवं विहत प्रकियाओं की अनुसरण में विधिवत नवीन पट्टे जारी करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner